

**बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग**

पत्रांक- मु0310 (अ0उ0)-4515-01-133/2025 - 640
प्रेषक,

/पटना, दिनांक- 30.03.2025

उज्ज्वल पृगार शिष्ट, पारमपरी
विशेष राशि।

सोचा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकपारी)
बिहार, पटना।

विषय:- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जनजाति घटक के अधीन कुल 07 योजनाओं के उन्नयनार्थ स्तम्भ-6 में अंकित लम्बाई (कि०मी०) एवं स्तम्भ-7 में उन्नयनार्थ हेतु कुल राशि रु० 280.22800 लाख रुपये मात्र है, पर (कुल 07 योजना) घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाराज,

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जनजाति घटक के अधीन कुल 07 योजनाओं के उन्नयनार्थ समर्पित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जिसकी अनुमोदित राशि 0 से 5 करोड़ के बीच में है पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है जिनके लिए स्तम्भ 07 में अंकित कुल राशि 280.22800 लाख मात्र है पर घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

क्र. सं.	जिला	कार्य क्षेत्र	प्रकार	योजना का नाम	विस्तृत रूप से कार्य एवं कार्य की लम्बाई (कि०मी०)	कुल अनुमोदित राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	West Champaran	Detla	Majhulia	Const. Of Road from RCD Road (Panchayat Dham Sikarpur) to Power Grid	0.800	50.45600
2	West Champaran	Detla	Majhulia	RCD Road Manrega Park Shikarpur to Mahadali Tola Ward No.-5 tak	0.600	33.39500
3	Lakhisarai	Lakhisarai	Lakhisarai	Const. of Two No. H.P. Culvert From Bypas to Gandhi Maidan	0.025	11.51300
4	Lakhisarai	Lakhisarai	Lakhisarai	Const. of Road from Nalgudhar Sangrahalay to N110	0.451	31.09100
5	Lakhisarai	Lakhisarai	Lakhisarai	Const. of Road from Ashok Dham Mandir to Ashok Dham Railway Station	0.895	69.97100
6	Patna	Barh	Barh	RCD Road T02 (Shivshakti Sarovar) To N1130A Tak	0.320	10.16000
7	Gaya	Imanganj	Imanganj	Repair of Imanganj-Kothi RCD Road to Baghauta Road	1.380	53.06200
				TOTAL	4.471	280.22800

- मांग संख्या-37-मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परियोजना, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-796-अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0110-मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना (अनुसूचित जनजाति), विषय शीर्ष-5301 मुख्य निर्माण कार्य, विषय कोड-37-4515-00-796-0110, मूल बजट उपबंध-75 करोड़ रु० है।
- संबंधित कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमण्डल योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्ट के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
- सारणी में अंकित योजनाओं का विभागीय रूप से कार्य सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
- इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या-मु0310 (अ0उ0)-4515-01-97/2025, दिनांक 21.03.2025 को प्राप्त है।

6. सारणी में अंकित योजना का विभागीय रूप से कराये गये कार्य हेतु घटनोत्तर प्रशासनिक अनुमोदन के प्रस्ताव पर राक्षम प्राधिकार अपर मुख्य राक्षम महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या- गु0अ0 (अ0उ0)-4515-01-133/2025 में प्राप्त है।
7. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा राक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
8. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच राक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अछादित नहीं हो।
10. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
11. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त योजना हेतु राशि की निकासी की जायेगी।
12. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
13. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
14. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
15. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित राक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।
17. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-17 के आलोक में संबंधित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति की वैधता स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।
18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- गु0अ0 (अ0उ0)-4515-01-133/2025 के पृ0-04/टि0 पर दिनांक-26.03.2025 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव